

# बिहार की उच्च शिक्षा और अतिथि सहायक

## प्राध्यापक: स्थायी समाधान कब?

बिहार की उच्च शिक्षा परंपरा विश्व पटल पर अद्वितीय और गौरवशाली रही है। नालंदा और विक्रमशिला जैसे प्राचीन विश्वविद्यालयों ने इसे वह पहचान दी, जिसे आज भी पूरी दुनिया शिक्षा और शोध की धरोहर के रूप में स्वीकार करती है। परंतु समय की धारा में यह परंपरा कई उतार-चढ़ावों से गुज़री है। स्वतंत्रता के बाद राज्य में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों का विस्तार हुआ, नई संस्थाओं की स्थापना हुई, लेकिन स्थायी प्राध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया हमेशा से ही कठिनाइयों से घिरी रही। कभी कॉलेज सर्विस कमीशन, कभी बीपीएससी और अब राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्तियाँ होती रहीं, लेकिन उनकी गति और पारदर्शिता लगातार सवालियों के घेरे में रही। राष्ट्रीय स्तर की रिपोर्ट्स, जैसे AISHE (2021-22) में बिहार का सकल नामांकन अनुपात (GER) मात्र 17.1% बताया गया है, जबकि देश का औसत 28.4% है। यह संकेत करता है कि बड़ी संख्या में बिहार के युवा उच्च शिक्षा से वंचित रह रहे हैं। साथ ही, प्रति लाख जनसंख्या सिर्फ सात कॉलेज हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत कॉलेजों की संख्या 30 है। ये आंकड़े स्पष्ट रूप से शिक्षा संबंधी अधोसंरचना और संसाधनों की कमी को दर्शाते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट भी राज्य की शिक्षा व्यवस्था को सबसे निचले पायदान पर रखती है। इस परिप्रेक्ष्य में यदि अतिथि सहायक प्राध्यापक अपनी सेवा न देते तो उच्च शिक्षा का अस्तित्व ही संकट में पड़ जाता। आज की स्थिति यह है कि राज्य के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्र संख्या निरंतर बढ़ रही है, पर स्थायी शिक्षकों की नियुक्तियाँ वर्षों से अधर में अटकी हुई हैं। 2020 में बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा सहायक प्राध्यापक के 4,638 पदों के लिए विज्ञापन निकाला गया था, किंतु पाँच वर्षों के बाद भी केवल आंशिक नियुक्तियाँ ही संभव हो सकीं। प्रक्रिया पर नकली अनुभव प्रमाणपत्रों, गलत दस्तावेजों और लंबी कानूनी लड़ाइयों की छाया रही है। इस अनिश्चितता और विलंब का सीधा असर छात्रों और शिक्षण की गुणवत्ता पर पड़ा है। इन्हीं परिस्थितियों में अतिथि सहायक प्राध्यापक राज्य की उच्च शिक्षा व्यवस्था के लिए संभल बने। वे वर्षों से कक्षाओं का संचालन कर रहे हैं, शोध और मार्गदर्शन में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं और विश्वविद्यालयों को किसी तरह जीवित बनाए हुए हैं। यह विडंबना ही है कि जिन कंधों पर पूरी शिक्षा प्रणाली खड़ी है, वे स्वयं असुरक्षा और असाहायता से जूझ रहे हैं। न तो इनके पास सेवा पुस्तिका है, न ही नियमित नियुक्त शिक्षकों जैसी सुविधाएँ। वर्ष भर बिना किसी अवकाश के लगातार कार्य करना उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। महिलाओं को न तो



**डॉ० मनीष प्रसाद**  
MSW, MA, UGC-NET, PhD  
**सामाजिक शोधार्थी**

### बिहार की उच्च शिक्षा का राष्ट्रीय स्तर पर स्थिति

- सकल नामांकन अनुपात (GER): भारत का औसत 28.4% (AISHE 2021-22), जबकि बिहार मात्र 17.1% पर है।
- प्रति लाख जनसंख्या (कॉलेज घनत्व) पर राष्ट्रीय औसत 30 है, जबकि बिहार में केवल 7 कॉलेज प्रति लाख जनसंख्या।
- नीति आयोग SDG रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा के मामले में बिहार का स्कोर केवल 57, जो देश में सबसे कम है।
- उच्च शिक्षा संस्थानों नामांकित 25 लाख छात्रों को पढ़ाने के लिए 7500 से भी कम शिक्षक उपलब्ध हैं।
- साक्षरता दर: 15+ आयु वर्ग में बिहार की साक्षरता दर लगभग 67%, राष्ट्रीय स्तर पर सबसे नीचे।

मातृत्व अवकाश मिलता है, न ही विशेष अवकाश की सुविधा। प्रति कक्षा तय मानदेय और मासिक भुगतान पर कार्य करने वाले ये शिक्षक, दिन में पाँच घंटे विश्वविद्यालय की सेवा करते हैं, तीन मुख्य विषयों के कक्षा के अलावा वैकल्पिक विषयों को भी पढ़ाते हैं, परीक्षा संचालन और प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी निभाते हैं, किंतु उन्हें वह सम्मान और संसाधन नहीं मिलते, जिसके वे हक़दार हैं। जहाँ स्थायी शिक्षकों को जो साधन उपलब्ध रहते हैं, जैसे शोध परियोजनाओं में भागीदारी, डिजिटल संसाधनों की सुविधा, या किसी पद पर दायित्व वहीं अतिथि प्राध्यापक उनसे वंचित रहते हैं। कई बार उन्हें यह कहकर दर-किनार कर दिया जाता है कि वे केवल “अतिथि” हैं। इतनी कठिनाइयों के बीच, अतिथि सहायक प्राध्यापक (गेस्ट फ़ैकल्टी) ने अपनी प्रतिबद्ध सेवा से विश्वविद्यालयों की शिक्षण प्रणाली को सींचा है जो शायद ही किसी और द्वारा संभव हो। कई वर्षों से अतिथि शिक्षक लगातार पढ़ा रहे हैं, छात्रों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। परन्तु नए नियुक्तियों के चलते इनकी सेवाएँ समाप्त कर दी जाती हैं, क्योंकि संस्थानों में स्थायी पद नहीं होते। इस कारण कई शिक्षकों ने भूख हड़ताल तक की है, जिसके बाद कुछ को सीमित विस्तार मिला। इस अन्यायपूर्ण स्थिति का सबसे गहरा प्रभाव उनकी मानसिक अवस्था पर पड़ता है। जब एक शिक्षक असुरक्षित भविष्य, सीमित आय और सम्मान की कमी के बीच अपने जीवन का सबसे मूल्यवान समय समर्पित करता है, तब उसकी पीड़ा और मार्मिकता को शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना कठिन हो जाता है। फिर भी, इन परिस्थितियों में भी वे न केवल शिक्षण कर रहे हैं बल्कि नई शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में अहम योगदान दे रहे हैं। वे चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम, सेमेस्टर पद्धति, शोध और इंटरनशिप जैसी गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने में पूरी तन्मयता से लगे हुए हैं। आज की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन उनकी सेवाओं को केवल अस्थायी समाधान मानकर चलते हैं। वर्षों तक शिक्षा देने के बाद भी इन्हें किसी भी क्षण हटा दिया जाता है। कई बार ये शिक्षक अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर आंदोलन करने को विवश होते हैं। उनकी यह स्थिति केवल व्यक्तिगत त्रासदी नहीं है, बल्कि पूरे राज्य की शिक्षा की नींव को कमजोर कर रही है। यदि राज्य सरकार वास्तव में उच्च शिक्षा के प्रति संवेदनशील है तो सबसे पहला कदम होना चाहिए कि अतिथि सहायक प्राध्यापकों की सेवा का समायोजन किया जाए। उन्हें सम्मानजनक मानदेय, सेवा-नियम और अवकाश की सुविधा प्रदान की जाए। साथ ही, नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाया जाए ताकि उच्च शिक्षा में स्थायी और गुणवत्तापूर्ण व्यवस्था स्थापित हो सके। कुछ सुधारात्मक पहलें सरकार और विधानमंडल स्तर पर सामने आई हैं। बिहार विधान परिषद की शिक्षा समिति में अतिथि

### स्वतंत्रता के बाद से ही प्राध्यापक के विज्ञापन एवं नियुक्ति प्रक्रिया एक चुनौती

- 1952 से 2005 तक नियुक्तियाँ कॉलेज सर्विस कमीशन/ विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से होती रहीं।
- 2007 में आयोग भंग, लंबे समय तक नियुक्तियाँ ठप रहीं।
- 2014 में बीपीएससी ने 3364 पदों के लिए विज्ञापन किया जिसकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने में 5 वर्ष से अधिक समय लगा।
- 2019 में बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (BSUSC) का पुनर्गठन।
- 2020 में BSUSC द्वारा सहायक प्राध्यापक के 4,638 पदों के लिए ऐतिहासिक विज्ञापन, परंतु 5 वर्ष बाद भी केवल आंशिक नियुक्तियाँ; लगभग 40% रिक्तियाँ अधूरी।
- नियुक्ति प्रक्रिया में सैकड़ों कोर्ट केस, नकली अनुभव प्रमाणपत्र, गलत दस्तावेज़ जैसी गंभीर समस्याएँ।

प्राध्यापकों को नियमित करने की चर्चा चल रही है, जिसमें प्रस्तावित है कि वर्षों तक सेवा देने वाले शिक्षकों को 65 वर्ष की आयु तक कार्य करने की व्यवस्था हो। साथ ही, विधान परिषद के एक समिति ने सरकार को अतिथि शिक्षकों के संवैधानिक सेवा-नियम, मानदेय, और स्थिति सुधारने की अनुशंसा की है। बिहार की शिक्षा परंपरा नालंदा जैसी गौरवशाली विरासत से जुड़ी रही है। यह केवल इतिहास की धरोहर नहीं है, बल्कि वर्तमान और भविष्य का आधार भी है। अतिथि सहायक प्राध्यापक आज इसी आधार को बचाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, अपने श्रम, समर्पण और त्याग के साथ। लेकिन यदि समय रहते उनके योगदान को सम्मान नहीं मिला, तो यह गौरवशाली परंपरा धीरे-धीरे क्षीण हो जाएगी। शिक्षा का अस्त और संस्कृति का यह आधार खोखला होता चला जाएगा। आज आवश्यकता है कि सरकार और समाज मिलकर इन शिक्षकों की स्थिति को समझें, उनकी पीड़ा को महसूस करें और उन्हें वह गरिमा और स्थायित्व प्रदान करें, जिसके वे सच्चे अधिकारी हैं। तभी बिहार की उच्च शिक्षा अपने अतीत के गौरव को पुनः प्राप्त कर सकेगी और भविष्य की राह पर मजबूती से आगे बढ़ पाएगी।

### बिहार उच्च शिक्षा में अतिथि सहायक प्राध्यापकों का प्रभावशाली योगदान

- स्थायी नियुक्तियों के अभाव में राज्य विश्वविद्यालयों का शैक्षणिक भार वर्षों से इन्हीं पर टिका।
- कक्षाओं का संचालन, नामांकन सत्यापन, परीक्षा व्यवस्था और छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित कर रहे हैं।
- NEP 2020 की नई व्यवस्थाएँ—चार वर्षीय डिग्री प्रोग्राम, सेमेस्टर प्रणाली, इंटर्नशिप, शोध कार्य—को लागू करने में अहम भूमिका।
- अपने मुख्य विषयों के अतिरिक्त AEC, SEC, VAC जैसे पाठ्यक्रम भी पढ़ा रहे हैं।
- NAAC मान्यता, शोध परियोजनाओं और प्रशासनिक कार्यों में सहयोग देकर विश्वविद्यालयों को टिकाए रखा है।
- आर्थिक और सामाजिक असुरक्षा के बावजूद, समर्पण और तन्मयता से बिहार की उच्च शिक्षा को संभाले रखा है।

### अतिथि सहायक प्राध्यापक: चुनौतियाँ और मार्मिक स्थिति

- आयोग और यूजीसी के मानदंडों पर विश्वविद्यालय द्वारा बहाली लेकिन वर्षों तक कार्य करने के बाद भी किसी भी क्षण सेवासमाप्त कर दी जाती है।
- कहीं और कार्य न करने के शपथ पत्र लेने के बाद मानदेय के नाम पर प्रति कक्षा लगभग ₹1,500 और मासिक भुगतान ₹50,000 (11 माह), समर वेतन नहीं। इस राशि का भुगतान भी अनियमित और मनमाने तरीकों से।
- कोई सेवा-नियम नहीं, न छुट्टियाँ (CL/EL/DL/Medical), न मातृत्व अवकाश, न शोध में भागीदारी, न तो महाविद्यालयों में कोई कार्यकारी पद।
- असुरक्षित भविष्य, सीमित अवसर, ढलती उम्र, कम मानदेय, और सम्मान के अभाव मानसिक तनाव उनकी सबसे बड़ी चुनौति है

इस लेख का स्वर और उद्देश्य अत्यंत मार्मिक और मानव-केंद्रित हैं। बिहार के अतिथि सहायक प्राध्यापकों की स्थिति, उनकी चुनौतियाँ, और बिहार उच्च शिक्षा में उनके योगदान का प्रभावशाली चित्रण प्रस्तुत किया है। मानवता से भरा यह लेख, विभिन्न लेखों, रिपोर्टों, तथा अतिथि सहायक प्राध्यापक के मार्मिक वृत्तांत पर आधारित है।